झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम (बजट)–सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न,शनिवार,दिनांक :–01माघ, 1938 (श0) .....को 21 जनवरी,2017 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(32)		अ0सू0–10–श्री प्रदीप यादव	कारगर कदम उठाना।	पेयजल एवं स्वच्छता	14.01.17
(33)		अ0सू0–13–श्रीमती गीता कोड़ा	दोषियों पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	16.01.17
(34)		अ0सू0–11–श्री प्रदीप यादव	दोषियों को दंडित करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	14.01.17
(35)		अ0सू0–12–श्री आलोक कुमार चौरसिया	होल्डिंग टैक्स कम करना।	नगर विकास एवं आवास	14.01.17
(36)		अ0सू0–09– श्रीमती गीता कोड़ा	दोषियों पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	14.01.17
* (37)		अ0सू0–16– प्रो0 स्टीफन मरांडी	पथ की रक्षा।	पथ निर्माण	16.01.17
(38)		अ0सू0–17– श्री मनीष जायसवाल	वृक्ष लगवाना।	पथ निर्माण	16.01.17
(39)		अ0सू0–15– श्री राधाकृष्ण किशोर	राशि का निकासी।	ग्रामीण विकास	16.01.17

रॉची,
दिनांक–21 जनवरी,2017ई0।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–05/15–...669...../वि0स0,रॉची,दिनांक– 17.01.17 ई0

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.01.17
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

* – ग्रामीण विकास विभाग से स्थानांतरित।

कृ0पृ030/----

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–05/2015–.....659...../वि0स0,राँची,दिनांकः–.....17.....जनवरी,2017 ई0।

प्रतिलिपि :–अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

17.01.17

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–05/2015–.....659...../वि0स0,राँची,दिनांकः–.....17.....जनवरी,2017 ई0।

प्रतिलिपि :–कार्यवाही शाखा,वेबसाईड शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ षित।

मंगल

17.01.17

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

17/01

(32)

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 21.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0– 10 का उत्तर अनुपालन प्रतिवेदन–

	अल्प–सूचित प्रश्न	उत्तर अनुपालन
1.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2005–06 में गोड्डा जिला के देवंधा ग्राम में 2.50 करोड़ के लागत से बनी पानी का टंकी ग्रामीणों को अबतक एक बूँद पानी नहीं दे सका है;	वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में रूपये 87.985 लाख की लागत से जलमीनार, चाहरदिवारी, वितरण नेटवर्क एवं दो HYDT के निर्माण की योजना थी। काफी कार्य पूर्ण है। कुल व्यय रूपये 79.88 लाख है। योजना चालू नहीं होने के लिए दोषी कार्यपालक अभियंता, श्री संजय कुमार शर्मा वर्तमान में निलंबित है। दोषी ठेकेदार पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अधीक्षण अभियंता, देवघर सभी दोषियों का दोष निर्धारण कर, योजना को अगले चार माह के अन्दर चालू करने का निर्देश दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के तहत् बनी योजनाओं की स्थिति पूरे झारखण्ड में इसी प्रकार है और योजनायें लाभकारी साबित नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या ये सारी योजनायें लाभकारी एवं उपयोगी हों, सरकार इस हेतु कारगर कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ0सू0– 01–15/2016– 366 राँची, दिनांक :– 20/1/17
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 507 दिनांक– 14.01.2017 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.17
(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/अ0सू0– 01–15/2016– 366 राँची, दिनांक :– 20/1/17
प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.17
(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

(34)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 21-01-2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य में फ्लोराइड और उससे होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए NPPCF के तहत 13 जिलों यथा– पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, चतरा, साहेबगंज, गोड्डा इत्यादि को केन्द्रीय सहायता दी जाती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में फ्लोराईड और उससे होने वाले बीमारियों के रोकथाम के लिए NPPCF के तहत केवल 4 जिलों (पलामू, गढ़वा, चतरा एवं हजारीबाग) को केन्द्रीय मदत मिल रही है।
2-	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष– 2015–16 में 4 जिलों पलामू, चतरा, हजारीबाग एवं गढ़वा जिला को केन्द्र से मिली राशि का उपयोग एवं खर्च राज्य सरकार के द्वारा न करने के कारण केन्द्र ने राशि देने से इनकार कर दिया है ;	अस्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों की उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस हेतु दोषियों को दंडित करने एवं फ्लोराईड के प्रभाव से होने वाली बिमारियों के रोक– थाम के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में इसे स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-13/17 –36(15) राँची, दिनांक–20-01-17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 508 दिनांक– 14-01-17 जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को भेजा गया था, के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची को उनके पत्रांक– 224 दिनांक– 17-01-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/01/17

सरकार के उप सचिव

Tiwari

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–538 दिनांक–14.01.2017 (35) से प्राप्त श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–21.01.2017 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नगर विकास (मेदिनीनगर) पलामू सहित राज्य में अचानक होल्डिंग टैक्स में अप्रत्याशित वृद्धि कर दिए जाने से आम जनता में आक्रोश है ;	अस्वीकारात्मक है। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0–5350, दिनांक–24.09.16 से "झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण संग्रहण और वसूली) संशोधन नियमावली, 2015" के कतिपय नियमों को संशोधित किया गया है जिसके अनुसार किसी धृत्ति के वार्षिक किराया मूल्य के 2% के आधार पर धृत्ति कर का निर्धारण किया जाना है। यह नियम दिनांक–01.04.16 से प्रभावी है। नगर निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने, उनके आंतरिक राजस्व में वृद्धि तथा नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने के लिए यह आवश्यक है।
2.	क्या यह बात सही है कि निगम द्वारा समय–समय पर होल्डिंग टैक्स की वसूली समय पर न हो जाने के कारण पहले से ही जनता इस बोझ में दबी हुई है, और वृद्धि कर देने से पहले के होल्डिंग टैक्स कई गुणा में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी ;	कंडिका–1 के अनुसार।
3.	03– क्या क्या यह बात सही है कि पुराने होल्डरों से पहले के बाकी होल्डिंग टैक्स की वसूली करने या बढ़ी हुई होल्डिंग टैक्स में और कमी की आवश्यकता है, जिससे आम जनता को ससमय टैक्स भरने में कोई कठिनाई न हो तथा राहत महसूस कर सके ;	इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
4.	04–यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार (मेदिनीनगर), पलामू सहित राज्य में बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स जनहित को ध्यान में रखते हुए कम करना चाहती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–8 / अ0सू0 / 101 / 2017 / न0वि0आ0 486 / राँची, दिनांक :– 19/01/17

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–538 वि0स0, दि0–14.01.2017 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/01/17
सरकार के उप सचिव।

Munni/Desktop/Bidhan shabha-m-16-37

(36)

दिनांक 21.01.2017 को माननीय स०वि०स० श्रीमती गीता कोड़ा द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–09

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में PMGSY योजना के तहत् सड़को का निर्माण हेतु चार केन्द्रीय एजेन्सियों क्रमशः NBCC, NPCC, HSCL एवं IRCON को अधिकृत किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा व्यापक पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया हैं, जिससे राज्य को 1864 करोड़ रुपये की क्षति पहुँची है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सड़क निर्माण में व्यापक वित्तीय अनियमितताओं के दोषी केन्द्रीय एजेन्सियों पर कानूनी कार्रवाई कर राशि के वापसी हेतु कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रथम दृष्टया अधिक भुगतान/खराब गुणवत्ता के कारण गुमला जिला अन्तर्गत एन0पी0सी0सी0 द्वारा कराये जा रहे कई पथों पर प्राथमिकी दर्ज है। सभी जिलों के पी0एम0जी0एस0वाई0 के कतिपय पूर्ण पथों की जांच ए0सी0बी0 को दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–56/17 ग्रा0का0मा0.....646.....राँची/दिनांक–...20-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–511, दिनांक–14.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–56/17 ग्रा0का0मा0.....646.....राँची/दिनांक–...20-1-17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–56/17 ग्रा0का0मा0.....646.....राँची/दिनांक–...20-1-17

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(37)

दिनांक 21.01.2017 को माननीय स०वि०स० श्री प्रो० स्टीफन मराण्डी द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–16

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री प्रो० स्टीफन मराण्डी, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत महेशपुर प्रखण्ड के बाबूपुर से सियाल पाड़ी तक आर०ई०ओ० द्वारा निर्मित पथ की स्थिति बहुत ही दयनीय है जिससे आवागमन में काफी दिक्कत होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2..	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ की स्थिति जीर्णशीर्ण होने के साथ बासलोई नदी के निरन्तर कटाव से सड़क का आस्तिव खतरे में है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि समय रहते पथ में हो रहें कटाव को रोकने का उपाय नहीं किया गया तो इसका नामो निशान तक मिट जायेगा;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ के आस्तिव की रक्षा हेतु कारगर उपाय करने की इरादा रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	नदी के किनारे पथ अवस्थित है। नदी से बालू का उठाव होने के कारण पथ क्षतिग्रस्त हुआ है। आवश्यकतानुसार पथ को सुरक्षात्मक कार्य का डी०पी०आर० तैयार कराकर अग्रेतर कारवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–91 / 17 ग्रा0का0मा0.....649.....राँची / दिनांक–...20-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–631, दिनांक–16.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–91 / 17 ग्रा0का0मा0.....649.....राँची / दिनांक–...20-1-17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–91 / 17 ग्रा0का0मा0.....649.....राँची / दिनांक–...20-1-17

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

मा0, स0वि0स0, श्री मनीष जयसवाल द्वारा दिनांक 21.01.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग से राँची एन0एच0–2 पथ के साथ–साथ हजारीबाग से धनबाद एन0एच0–33 पथ के निर्माण कार्य लगभग 05 (पांच) लाख पेडों को काटी गई है ;	एन0एच0ए0आई0 परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रांची के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के हजारीबाग–रांची खण्ड के अन्तर्गत सड़क चौडीकरण हेतु 16,833 वृक्ष काटे गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–2 के चार लेनों में चौड़ीकरण के दौरान हजारीबाग, गिरिडीह एवं धनबाद जिलान्तर्गत कुल 15,483 पेडों की कटाई की गई थी ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित पथ के निर्माण कार्य हेतु N.H.A.I. कम्पनी के साथ सरकार द्वारा किये गये MOU के अनुसार काटे गये पेड़ों की तुलना में उतनी ही पेड लगाने की शर्त सुनिश्चित की गई थी ; 3. क्या यह बात सही है कि खण्ड 2 में वर्णित कम्पनी द्वारा सरकार के साथ किये गये MOU के शर्त्तों का उल्लंघन कर काटे गये पेडों के अनुपात में अबतक पेड नही लगाया गया है, जिससे हजारीबाग व राँची मे वातावरण काफी प्रभावित हुई है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड 2 मे वर्णित कम्पनी से राज्य सरकार के साथ किये गये MOU के शर्त्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से पेड लगवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के हजारीबाग–रांची खण्ड के हजारीबाग से रांची पथ के निर्माण कर्त्ता कम्पनी के साथ किए गए MOU (रियायतग्राही अनुबन्ध) के प्रावधानों एवं सडक स्थिति के अनुसार कुल 37,321 वृक्षारोपण सडक के दोनों ओर (एवेन्यू वृक्षारोपण) उपलब्ध ROW में लगाया जाने का प्रावधान था जिसके विरूद्ध निर्माण कर्त्ता कम्पनी के द्वारा 38,030 वृक्षारोपण किया गया है । राष्ट्रीय राजमार्ग–2 में चयनित संवेदको के साथ हुए अनुबंध के अनुसार हजारीबाग से धनबाद जिलान्तर्गत सडक के किनारे कुल 25,000 पेड लगाने का प्रावधान था । NHAI के अनुसार विषयगत पथाश के 6 लेन में परिवर्तित करने की योजना प्रस्तावित होने के कारण पेड लगाने का कार्यक्रम स्थगित किया हुआ है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–02 / 2017 429(5) राँची / दिनाक : 20/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 630 दिनांक 16.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
20.1.17

P.T.O

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11– अ0सू0–02/2017 429(1) राँची/दिनांक : 20/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

20/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
20.1.17